



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 777]
No. 777]नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 2012/वैशाख 7, 1934
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 2012/VAISAKHA 7, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2012

का.आ. 932(अ).—यतः, मै. विवो बायो टेक लिमिटेड, ने आंध्र प्रदेश राज्य में गांव प्रेगनापुर, गजवेल मंडल, जिला मेडक में जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 27 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 347 (अ) में 10.926512 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया;

और यतः, मै. विवो बायो टेक लिमिटेड ने सम्पूर्ण 10.926512 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करके उसे दिनांक 29 सितम्बर, 2011 को अनुमोदित कर दिया है और अपनी सहमति से अवगत करा दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 की धारा 1 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, उपरोक्त अधिसूचना को निरस्त करती है। सिवाय उन चीजों के जो ऐसे निरसन के पूर्व कारित की गई हैं या कारित किए जाने से निवारित की गई हैं।

[फा. सं. एफ. 1/139/2007-एसईजेड]

अनूप वधावन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2012

S.O. 932(E).—Whereas, M/s. Vivo Biotech Limited, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for Boltech at Village Pregnapur, Gajwel Mandal, Medak District in the State of Andhra Pradesh;

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, had notified an area of 10.926512 hectares at above location as Special Economic Zone *vide* Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 347 (E), dated 27th January, 2009;

And, whereas, M/s. Vivo Biotech. Limited has proposed to de-notify the entire area of 10.926512 hectares of the above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for de-notification of above area on 29th September, 2011;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006 the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such recession.

[F. No. F. 1/139/2007-SEZ]
ANUP WADHAWAN, Jt. Secy.